फर्द अहकाम

नाम न्यायालय :– अति. जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

प्रहलाद बनाम नायब तहसीलदार पावटा

केस संख्या :– 61/2021

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/12/2021	पत्रावली पेश हुयी। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की तल्बी हेतु जारी सम्मन नोटिस बाद तामील होने पर संलग्न पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये अभिकथन किया है कि पटवारी हल्का खेलना द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी हाल ख.नं. 1805/1.67, 1794/1.57, 1795/1.03, 1796/2.14, 1797/0.20 वाके मौजा झीडागढ तहसील पावटा की भूमि में कब्जा काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट उपस्थित आकर जवाब का समय चाहा गया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने जवाब पेश करने का अवसर दिये बिना अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को बेदखल करने के आदेश दिनांक 14/12/2021 को पारित कर दिये जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है, जबकि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सैकडों वर्षों से काश्त करते चले हा रहे है तथा पूर्व में भी तत्कालीन अधिकारी तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 के नोटिस जारी किये गये जिसका प्रकरण 357/1993 में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडन्ट के बुजुर्गों द्वारा सैकडों वर्षों से अपने कब्जे सम्बन्धी खसरा परिवर्तन शील व अन्य गिरदावरियां आदि दस्तावेजात् पेश किये जिस पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नियमन की सिफारिस करते हुये उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष पत्रावली भिजवायी गयी थी। श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटपूतली भूमि की किस्म परिवर्तन किये जाकर नियमन किये जाने स्वीकृति हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, को प्रति प्रेषित किया था। उक्त प्रकरण विचाराधीन रहते हुये ग्राम झीडागढ पूर्व ग्राम खेलना की उपरोक्त भूमि तहसील कोटपूतली से तहसील पावटा क्षेत्र में आ गयी पूर्ववर्ती नियमन की सिफारिस आज दिन तक बाध्यकारी है। इसलिए अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के धारा 91 की कार्यवाही विधि विरूद्व एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है जो अपील चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण में साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु नियमन सिफारिस की पत्रावली की नकल प्रेषित करने बाबत जवाब के लिए अवसर चाहा गया था किन्तु जवाब का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के विरूद्व दिनांक 14/12/2021 को निर्णय पारित कर मौके से बेदखली एवं पैनल्टी के आदेश पारित कर दिये गये जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। इसलिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 14/12/2021 मुकदमा नं. 37/2021 व उनवानी सरकार बनाम रामकरण वगैरह को खारिज फरमावें। पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर पर मुताबिक पटवारी हल्का की रिपोर्ट से रामकरण कल्याण पूरण प्रहलाद पुत्रान् सुन्दरलाल जाति मीणा निवासी खेलना ने कब्जा जोत लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायलान को सूचित करने पर उपस्थित आये तथा अतिक्रमण करना स्वीकार किया है, जिन्हें अतिक्रमी घोषित कर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं	

लगान राशि का पचास गुना पैनल्टी के आदेश विधिक प्रकिया अपनाई जाकर आदेश पारित किये है जो न्याय संगत है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

चूँकि अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर धारा 91 एल.आर एक्ट 1956 के तहत् मु.न 37/2021 सरकार बनाम रामकरण वगैरह में दिनांक 14/12/2021 को निर्णय पारित किया है जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से सम्बन्धित है। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में जाहिर किया है कि उक्त भूमि बाबत पूर्ववर्ती नियमन की सिफारिस हुयी है। इसलिए धारा 91 की कार्यवाही विधि विरूद्व है। यह कथन कतई गलत है क्योंकि जब उक्त आराजीयात् बाबत नियमन की कार्यवाही होकर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुयी है तो उक्त भूमि पर कब्जा जोत लगाकर अतिक्रमण नहीं कर सकते है। इसलिए आज भी उक्त आराजी सरकारी भूमि है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय के मु.नं. 37/2021 ब उनवान सरकार बनाम रामकरण वगैरह में पारित आदेश 14/12/2021 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपतली (जयपुर)